जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Tulsi Ghosh, legally mother of No. JC-736177L, Rank-Nb Sub, Name-Nabin Kumar Ghosh, Unit-129 Armd Wksp, C/o 56-APO, presently R/o Village-Salda, PO-Salda, Teh.-Bishnupur, P/S-Joypur, Distt.-Bankura, West Bengal-722122 have changed my name from TULASI GHOSH to Tulsi Ghosh and DOB from 05/01/1952 to 01/01/1961 vide Affidavit No. IN-UP57468713866086W dated 23-08-2024 0060118802-1

I, Polebina Bhulakshmi, legally mother of Army No. 15598794Y, Rank-NK, Name-Poleboina Rajagopal, Unit-114 Armed Engr Regt, C/o 56-APO, presently R/o Village-Palkaveedu, PO-Palkaveedu, Teh.-Racherla, P/S-Racherla, Distt.-Prakasam, Andhra Pradesh-523368 have changed my name from POLEBINA BHULAKSHMI to POLEBOINA BHULAKSHMI vide Affidavit No. IN-UP57465284813064W dated 23-08-2024 0060118801-1

I, Kaushabai Arjun Ugale, legally mother of No. 15585500F, Rank-NK, Name-Ugale Ganesh Arjun, Unit-114 AER, C/o 56-APO, presently R/o Village-Patpimpri, PO-Baragaon Pimpri, Teh.-Sinnar, P/S-Sinnar, Distt.-Nashik, Maharashtra-422103 have changed my name from UGALA KAUSHABAI to KAUSHABAI ARJUN UGALE and DOB from 05/07/1958 to 01/01/1953 vide Affidavit No. IN-UP57464443564968W dated 23-08-2024 0060118801-2

I, Kannan, legally father of Army No. 15179513P, Rank-NK (GNR), Name-Vijaya Kumar K., Unit-269 Med Regt (SP), C/o 56-APO, presently R/o 213, Arunthathiyar Palayam Sambasivapuram, PO-Sambasivapuram, Distt.-Ranipet, Tamilnadu-632507 have changed my name from KANNAN to KANNAN PARA-SURAMAN vide Affidavit No. IN-UP57473874347763W dated 23-08-2024 0060118802-4

I, Kannan Parasuraman, legally father of Army No. 15179513 P, Rank-NK (GNR), Name-Vijaya Kumar K., Unit-269 Med Regt (SP), C/o 56-APO, presently R/o 213, Arunthathiyar Palayam Sambasivapuram, PO-Sambasivapuram, Distt.-Ranipet, Tamilnadu-632507 have changed my Date of Birth from 25/05/1958 to 15/08/1960 vide Affidavit No. IN-UP57472859683499W dated 23-08-2024 0060118802-5

I, Jaimala Kumari, legally wedded spouse of No. 15714833N, Rank-Hav, Name-Bipin Kumar, Unit-31 ADSR (A), C/o 56-APO, presently R/o Village-Gorouli, PO-Ramghada, Teh.-Maharajganj, P/S-Duraundha, Distt.-Siwan, Bihar-841244 have changed my name from JAIMALA KUMARI to JAYMALA DEVI vide Affidavit No.IN-UP58483186284848W dated 24-08-2024 0060118801-4

I, Guriya, legally wedded spouse of No. 14843575A, Rank-Hav/MT, Name-Manjay Kumar, Unit-667 Coy ASC (TKTPTR) Type 'C', C/o 56-APO, presently R/o Village-Barkagoun, PO-Barkagoun, Teh.-Maharajganj, P/S-Bhagwanpur, Distt.-Siwan, Bihar-841408 have changed my name from GURIYA to GURIYA KUMARI vide Affidavit No. IN-UP58482873375763W dated 24-08-2024 0060118802-3

I, Gamit Surjibhai Ukadiyabhai, legally father of No. 15215386Y, Rank-Nk, Name-Gamit Arvind Bhai, Unit-30RR, C/o - 56 APO, presently R/o Village-Ghata Barasi Faliyu, PO-Ghata, Teh.-Vyara P/S-Kakrapar, Distt.-Tapi, Gujarat-394651 have changed my name from SURAJIBHAI to GAMIT SURJIBHAI UKADIYABHAI and DOB from 01/07/1953 to 01/06/1953 vide Affidavit No. IN-UP57466107514229W dated 23-08-2024 0060118830-4

I, Pinki Kumari, legally wedded spouse of No. 14854384L, Rank-NK/MT, Name-Shiv Kumar Yadav, Unit-531 ASC BN, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Sonarkhap, PO-Tankuppa, P/S-Tankuppa, Distt.-Gaya, Bihar-824232 have changed my Date of Birth from 15/03/1993 to 03/03/1996 vide Affidavit No. IN-UP57471677155015W dated 23-08-2024 0060118802-6

I, Gamit Sheetalben Arvind Bhai, legally wedded spouse of No. 15215386Y, Rank-Nk, Name-Gamit Arvind Bhai, Unit-30RR, C/o - 56 APO, presently R/o Village-Ghata Barasi Faliyu, PO-Ghata, Teh.-Vyara P/S-Kakrapar, Distt.-Tapi, Gujarat-394651 have changed my name from SHEETAL to GAMIT SHEETALBEN ARVIND BHAI and DOB from 30/11/1990 to 22/02/1993 vide Affidavit No. IN-UP57469683674084W dated 23-08-2024 0060118830-2

मायावती फिर बनीं बसपा की अध्यक्ष, कहा

कभी रुकेंगे नहीं, समझौता नहीं करेंगे

लखनऊ, 27 अगस्त (भाषा)।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को बसपा का एक बार फिर सर्वसम्मति से मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बसपा की केंद्रीय कार्यकारी समिति तथा अखिल भारतीय स्तर तथा राज्य पार्टी इकाइयों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और देशभर से चुने गए प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। बसपा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने संक्षिप्त संबोधन में मायावती ने कहा कि उनके लिए बहुजन समाज का हित सर्वोपरि है।

लोकसभा और राज्यसभा की पूर्व सदस्य मायावती ने जून 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और चार बार उन्होंने यह दायित्व संभाला। राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती के सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। चुनाव के बाद अपने संक्षिप्त संबोधन में मायावती ने छोटे-बड़े सभी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को

आश्वासन दिया कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वह हर तरह का त्याग करने के लिए हमेशा की तरह तैयार हैं। मायावती ने कहा कि करोड़ों दलितों और बहुजनों के हित में बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान में जनहित और जनकल्याण के वास्तविक उद्देश्य को साकार करने के लिए सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लिए अथक संघर्ष किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दलित-बहुजनों को अपनी शक्ति पर निर्भर रहना सीखना होगा अन्यथा वे ठगे जाते रहेंगे और लाचारी एवं गुलामी का जीवन जीने को मजबूर होंगे। केंद्र की राजग सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बहुमत से काफी पीछे रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का रवैया अभी भी स्थिति की मांग के अनुरूप तर्कसंगत और उदार नहीं दिख रहा है, जिसके कारण इसे स्थिर और मजबूत सरकार नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनावी हार के बावजूद बसपा निराश नहीं है बल्कि इस उम्मीद के साथ लगातार संघर्ष कर रही है कि एक दिन यह संघर्ष बहुजनों यानी बहुसंख्यक जनता के पक्ष में जरूर फलीभूत होगा। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर भी निशाना साधते हुए दावा किया कि ये दोनों केंद्रीय दल अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों के सच्चे हितैषी नहीं हैं। मायावती ने बैठक से एक दिन पूर्व कहा था कि राजनीति से संन्यास लेने का सवाल ही नहीं है।

व्यक्तिगत

मैं विजय प्रताप सिंह पुत्र देवनाथ सिंह नि० ओझोली, मुबारकपुर, आजमगढ़, हाल नि054, प्रीती नगर. सीतापुर रोड सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि आज से मुझे पंकज सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाएगा

पहले मेरा नाम अजय कुमार यादव था। आधार कार्ड व समस्त अभिलेखों में अजय यादव है। अब मुझे अजय यादव के नाम से लिखा पढ़ा व जाना जाए तथा पासपोर्ट में अजय कुमार यादव के स्थान पर अजय यादव लिखा जाए। अजय यादव पुत्र लालजी यादव ग्राम ढेमा, पोस्ट दियरा, तहसील जयसिंहपुर, थाना मोतिगरपुर जिला सुल्तानपुर

हलफनामे के द्वारा ये घोषित किया जाता है कि कमलदीप कौर छाबड़ा उम्र लगभग 46 वर्ष, पत्नी जसपाल सिह छाबड़ा निवासिनी 127/7, चौलक्खी 4 बी एन रोड कैसरबाग लखनऊ एवं कमलदीप कौर/ कमलदीप कौर छाबड़ा (आधार कार्ड के अनुसार) एक ही व्यक्ति के नाम है।

I, Avinash Madi S/O, Chandra Mani Tripathi R/o Village Bhivaraha Post Baksha Jaunpur Uttar Pradesh have changed my name to Avnish Mani Tripathi for all purposes. 0040745784-1

I, Army No. JC-771593N, Rank-Sub, Name-Abhishek Kumar, Unit-21 Corps Zone Wksp, C/o 56-APO, presently R/o House No.22/19, Block No.-03, Post-Govind Nagar, Teh.-Kanpur, P/S-Govind Nagar, Distt.-Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208006 have changed my Son's name from ARYAN to ARYAN KATYAL vide Affidavit No. IN-UP58484509669739W dated 24-08-2024 0060118801-5

I, Army No. JC-771593N, Rank-Sub, Name-Abhishek Kumar, Unit-21 Corps Zone Wksp, C/o 56-APO, presently R/o House No.22/19, Block No.-03, Post-Govind Nagar, Teh.-Kanpur, P/S-Govind Nagar, Distt.-Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208006 have changed my Daughter's name from ARADHYA to ARADHYA KATYAL vide Affidavit No. IN-UP58484909435555W dated 24-08-2024 0060118801-6

I, Army No. 15714833N, Rank-Hav, Name-Bipin Kumar, Unit-31 ADSR (A), C/o 56-APO, presently R/o Village-Gorouli, PO-Ramghada, Teh.-Maharajganj, P/S-Duraundha, Distt.-Siwan, Bihar-841244 have changed my Son's name from SIVWAM KUMAR to SHIVAM KUMAR vide Affidavit No.IN-UP58483862054330W dated 24-08-2024 0060118801-3

I, Army No. 15215386Y, Rank-Nk, Name-Gamit Arvind Bhai, Unit-30RR, C/o - 56 APO, presently R/o Village-Ghata Barasi Faliyu, PO-Ghata, Teh.-Vyara P/S-Kakrapar, Distt.-Tapi, Gujarat-394651 have changed my daughter's name from GUNJAN KUMARI to GAMIT GUNJANKUMARI ARVINDBHAI vide Affidavit No. IN-UP57466719514764W dated 23-08-2024 0060118830-1

I, Army No. 15215386Y, Rank-Nk, Name-Gamit Arvind Bhai, Unit-30RR, C/o - 56 APO, presently R/o Village-Ghata Barasi Faliyu, PO-Ghata, Teh.-Vyara P/S-Kakrapar, Distt.-Tapi, Gujarat-394651 have changed my Son's name from BHAVYA to GAMIT BHAVYA ARVINDBHAI vide Affidavit No. IN-UP57467676264518W dated 23-08-2024 0060118830-3

I Rachana Agrawal W/O, Parth Agrawal R/o 502,blomm Fountain Apt, 177, Faizabad Rd. Lucknow, 226007 have changed my name to Rachana Kumari. 0040745681-1

I, Sunita, legally wedded spouse of No. 14837316F, Rank-Hav/MT, Name-Prem Sangwan, Unit-667 Coy ASC (TKTPTR) Type 'C', C/o 56-APO, presently R/o Village-Pandwan, PO-Mankwas, Teh.-Charkhi Dadri, Distt.-Bhiwani, Haryana-127306 have changed my name from SUNITA to SUNITA DEVI vide Affidavit No. IN-UP58482482673582W dated 24-08-2024 0060118802-2

वरिष्ठ आइएएस अधिकारी को झूठ बोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी के जेल प्रशासन व सुधार विभाग के प्रमुख सचिव को अदालत में झूठा हलफनामा देने पर फटकार लगाई। यह हलफनामा एक सजायाफ्ता कैदी की समय से पूर्व रिहाई के मामले में प्रगति के बारे में दाखिल हुआ था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका व न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि आइएएस अधिकारी द्वारा अपने आकाओं की सुविधा के हिसाब से अदालत में रुख बदलने व झूठ बोलने को सहन नहीं करेंगे।

पीठ ने पिछले हफ्ते पाया था कि हलफनामे में प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह के पूर्व में दिए गए बयान के विरोधाभासी तथ्य दिए गए हैं। उन्होंने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पत्रावली को चलाने में देरी की थी। अदालत ने प्रमुख सचिव को अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी दी और कहा कि अगर वह अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं तो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।

प्रमुख सचिव इससे पहले 12 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती सुनवाई में शामिल हुए थे। तब उन्होंने दावा किया था कि आदर्श आचार संहिता जारी रहने के कारण मुख्यमंत्री सचिवालय ने कैदी की पत्रावली को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन बाद में अपने हलफनामे में उन्होंने लिख दिया कि राज्य के वकील ने उन्हें 13 मई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी नहीं दी थी। अदालत ने 13 मई को राज्य सरकार को कैदी की समय से पूर्व रिहाई के बारे में फैसले के लिए एक महीने का समय दिया था। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि चुनावी आचार संहिता इस मामले में बाधा नहीं बनेगी। मंगलवार को प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह खुद अदालत में पेश हुए। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि गलत बयानी के लिए राज्य सरकार को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। जब तक कोई अधिकारी जेल नहीं जाएगा तब तक यह सिलसिला बंद नहीं होगा।

कुटू के आटे के 'फलाहार' से 140 बीमार

मथुरा, 27 अगस्त (जनसत्ता)।

जन्माष्टमी पर फरह क्षेत्र के आठ-दस गांवों में कुटू का आटे से बने 'फलाहार' खाने से 140 लोग बीमार हो गए। देर रात लोगों की तबियत बिगड़ने के बाद सीएचसी फरह पर मरीजों के पहुंचने का क्रम शुरू हुआ। प्रशासन को जानकारी रात में एक बजे के बाद हुई। सूचना मिलने पर सभी आनन फानन में सीएचसी की ओर दौड़े।

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक 140 लोग बीमार हुए हैं, यह संख्या कुछ बढ़ भी सकती है। कुछ लोग निजी अस्पतालों में भी इलाज करा रहे हैं। इनके इलाज की बेहतर व्यवस्था की गई है। बलदेव क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश ने बताया कि सीएचसी के बाद 29 लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया जबकि 14 मरीजों को एसएन मेडिकल कालेज रेफर किया गया है। ग्रामीणों की ओर से शिकायत मिली कि सीएचसी पर चिकित्सक रात में मौजूद नहीं थे। कुछ लोग बिना दवाई लिए ही लौट गए। जबकि कुछ लोग इलाज के लिए जूझते रहे। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके बाद कमान संभाली और डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम सीएचसी फरह भेजी।

जांच को संयुक्त दल गठित

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कुटू का आटा खाने से लोगों के बीमार होने की घटना की जांच के लिए संयुक्त दल का गठन किया है। टीम में स्वास्थ्य, राजस्व एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जन्माष्टमी पर कुछ लोगों का कुटू के आटे की पकौड़ी, रोटी व अन्य व्यंजन खाने से स्वास्थ्य खराब हो गया।

मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गावों में पहुंची जहां लोग बीमार हुए थे। आलाधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि मरीजों और उनके साथ आए तीमारदारों को किसी तरह की परेशानी न हो। अस्पताल पर ग्रामीणों की भीड़ से भी अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी। लोगों से अधिकारी लगातार अपील करते रहे कि भीड़ भाड़ से मरीजों के इलाज में व्यवधान पैदा होता है।

स्वास्थ्य मथुरा में मंगलवार को भोजन विषाक्तता के बाद लोगों की हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में चल रहा इलाज।

'भारत में कभी बांग्लादेश की तरह तख्तापलट नहीं होगा'

सहारनपुर, 27 अगस्त (जनसत्ता)।

पद्मश्री चौधरी सेठपाल सिंह ने कहा कि भारत में कभी बांग्लादेश की तरह तख्तापलट नहीं हो सकता। यहां के संस्कार मूल आधार हैं। जो देश में जय जवान-जय किसान की बात करता है वो देश कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। भारत में जन्मा हर व्यक्ति इसे अखंड बनाए रखने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

सेठपाल ने किसान नेता जयप्रकाश तोमर द्वारा भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को राकेश टिकैत द्वारा व्यक्त किए जा रहे अलगाववादी

कई किसान नेताओं ने जेपी तोमर द्वारा टिकैत के खिलाफ की गई कार्रवाई का किया समर्थन।

बयानों की जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए।

पद्मश्री सेठपाल सिंह ने कहा कि किसानों के नाम पर जिस तरह की बयानबाजी टिकैत कर रहे हैं वो देशद्रोह की परिधि में आती है। भारत का किसान और मजदूर देशभक्त है। पूर्व मंत्री सुधीर बालियान ने कहा कि टिकैत का बयान कोरी बकवास है। टिकैत कोई भविष्य वक्ता नहीं है जो यह कहते हुए घूम रहे हैं कि भारत के हालात बांग्लादेश जैसे हैं।

सुधीर बालियान प्रखर राष्ट्रवादी और प्रगतिशील किसान हैं। उन्होंने जयप्रकाश तोमर को सही बताते हुए कहा कि वह मानते हैं कि राकेश टिकैत की बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। माहौल जरूर बिगड़ सकता है जबकि जयप्रकाश तोमर ने खरी और सूझबूझ वाली बात कही है। जमीन पर राकेश टिकैत की सोच का असर नहीं, बल्कि जयप्रकाश तोमर की सोच का असर है।

प्रबुद्ध सिद्धकुटि देवबंद के कुलपति स्वामी शांतनु महाराज ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और आंदोलन, धरना-प्रदर्शन करना जनता का अधिकार है। लेकिन किसी भी संगठन या उसके नेता को देश में अलगाववाद, हिंसा व अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। आजादी के बाद से हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और संविधान में आस्था मजबूत हुई है।

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
JM FINANCIAL
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय: 7वीं मंजिल, एनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
वेबसाइट – www.jmfinancialarc.com
संपर्क व्यक्ति: 1. प्रशांत पांडे – 7054013999 2. रोहन सावंत – 9833143013 3. प्रशांत मोंडे – 022 – 6224 1676

ई–नीलामी बिक्री सूचना – ताजा बिक्री

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 29 मार्च, 2023 के असाइनमेंट एग्रीमेंट (''असाइनमेंट एग्रीमेंट'') के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 5 (1) (बी) के तहत जेएमएफएआरसी (जेएम) (जिसे यहां असाइनी के रूप में संदर्भित किया गया है) के पक्ष में जेएमएफएआरसी –अरण्य–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए ऋण (नीचे उल्लिखित ऋणों सहित) के एक पूल को अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ–साथ उस पर सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज के साथ असाइन किया है। यह सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट/सेवा समझौते के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।

उधारकर्ता/ओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो कब्जे में है, को ''जहां है जैसा है'', ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर खरीदने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड / शाखा / उधारकर्ता(ओं) सह–उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं)	मांग सूचना के अनुसार दिनांक और राशि	संपत्ति का पता – अंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10प्रतिशत)	बकाया राशि (24–08–2024)
ऋण कोड संख्या:12000004956, वाराणसी (शाखा), संजय कुमार (उधारकर्ता), यशोदा देवी (सह उधारकर्ता 1)	दिनांक: 29–10–2019, रु. 1796488/–, (रु. सत्रह लाख छियानवे हजार चार सौ अठासी मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार हैरू आराजी संख्या 1002 का मौजा धरना परगना मवई चंदौली उत्तर प्रदेश 232101 सीमा में: उत्तर: एल/ओ फूलवाजी देवी दक्षिण: एल/ओ मंजू देवी पूर्व: 14 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता पश्चिम: आराजी का हिस्सा	रु. 1174500/–, (रु. ग्यारह लाख चौहत्तर हजार पांच सौ मात्र)	रु. 117450/–, (रु. एक लाख सत्रह हजार चार सौ पचास मात्र)	रु. 3736061/–, (रु. सैंतीस लाख छत्तीस हजार इकसठ मात्र)
ऋण कोड संख्या: 29400000051, प्रयागराज (शाखा), संदीप कुमार मिश्रा (उधारकर्ता), छाया मिश्रा (सह–उधारकर्ता 1)	दिनांक: 08–10–2021, रु. 1831491/–, (रु. अठारह लाख इकतीस हजार चार सौ इक्यावन मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल है: आराजी संख्या 841, मौजा मलाक हरहर उपरहार, परगना नवाबगंज, तह. सोरांव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 211013 सीमाएँ उत्तर: दूसरे का प्लॉट दक्षिण: दूसरे का मकान पूर्व: श्री मुन्ना का प्लॉट पश्चिम: 16'.0''चौड़ी कच्ची सड़क	रु.1620000/–, (रु. सोलह लाख बीस हजार मात्र)	रु.162000/–, (रु. एक लाख बासठ हजार मात्र)	रु.2796837/–, (रु. सत्ताईस लाख छियानबे हजार आठ सौ सैंतीस मात्र)

ई–नीलामी की तिथि: 19–09–2024. सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 18–09–2024, शाम 4.00 बजे से पहले।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale या https://www.bankauctions.in पर दिए गए लिंक को देखें।

सरफेसी अधिनियम के तहत ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना
उपर्युक्त ऋणी/गारंटर को धारा 13(2) के तहत उल्लिखित राशि नीलामी की तिथि से पहले की तिथि तक अर्जित ब्याज सहित पूरी तरह से अदा करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि यदि कोई होगी तो उसे ऋणी/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 28.08.2024
स्थान : उत्तर प्रदेश

हस्ता/–
(प्राधिकृत अधिकारी)
(अरण्य – ट्रस्ट)

यूपी में 'स्वच्छता पखवाड़ा' एक से

लखनऊ, 27 अगस्त (एजंसी)।

उत्तर प्रदेश में एक सितंबर से 15 सितंबर तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया जाएगा। 15 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों व शिक्षकों के साथ समाज के लोग भी हिस्सा लेंगे। इसे लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है।

'स्वच्छता पखवाड़ा' के पहले दिन 'स्वच्छता शपथ' दिलाई जाएगी, जिसमें छात्र, शिक्षक और स्टाफ के साथ ही अन्य नागरिकों की भी सहभागिता होगी। शपथ दिलाने के बाद विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां शुरू होंगी। निर्धारित कार्यक्रमों और गतिविधियों को अवकाश पड़ने की स्थिति में अगले दिन होने वाले कार्यक्रमों के साथ संपन्न कराया जाएगा।

15 सितंबर तक चलने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 'स्वच्छता पखवाड़ा' की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाने के लिए उन्हें कार्यक्रमों और गतिविधियों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। पखवाड़े के प्रथम सप्ताह में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक होगी और इसमें स्वच्छता के संबंध में जानकारी दी जाएगी। बच्चों के माता-पिता और शिक्षकों के मध्य बैठक कर लोगों में बीच साफ-सफाई और हाथ धोने, मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी के महत्व को बताया जाएगा। स्वच्छता संबंधी आदतों को शिक्षक और छात्रों को विद्यालय और घर तथा समुदाय के लोगों को घर और कहीं बाहर होने की स्थिति में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

हर शिक्षण संस्थान में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था व उपलब्धता से जुड़ी सुविधाओं तथा परिसर की स्वच्छता से संबंधित होने वाले कार्यों का भी मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन की जिम्मेदारी विद्यालय के शिक्षक की होगी। उक्त शिक्षक सुविधाओं की मरम्मत व रखरखाव के लिए आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव तैयार करेगा और योजना भी बनाएगा।

इस दौरान विद्यालयों में साफ-सुथरे परिसर और स्वच्छ शौचालय विषयक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विद्यालय में सफाई और स्वच्छता की आदतों पर छात्रों के लिए निबंध, स्लोगन और कविता लेखन के अलावा पेंटिंग, भाषण, प्रश्नोत्तरी, माडल बनाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके लिए शासन के निर्देश पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

खबर कोना

बुंदेलखंड राज्य के लिए पदयात्रा करेंगे राजा बुंदेला

उरई, 27 अगस्त (जनसत्ता)।

पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अक्तूबर माह में फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला पदयात्रा करेंगे। क्षेत्र में जन-जागरूकता अभियान की शुरुआत पद यात्रा से होगी। इस बाबत उनके समर्थक और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए गए हैं। राजा बुंदेला ने भी समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर जनसमर्थन जुटाया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार संकल्पित हैं। सरकार ने एक्सप्रेस वे, डिफेंस कोरिडोर, हर घर नल से जल सहित तमाम विकास कार्य किए हैं लेकिन समग्र विकास के लिए जरूरी है बुंदेलखंड राज्य। छोटे राज्यों को बनाने का श्रेय भाजपा को ही है।

हाथरस के 4 विकास खंडों में भूमि की उर्वरा शक्ति घटी

हाथरस, 27 अगस्त (जनसत्ता)।

जिले के सात में से चार विकास खंडों हाथरस, मुरसान, सासनी और हसायन में मृदा परीक्षण के परिणाम चौकाने वाले आए हैं। यहां जमीन में जीवांश कार्बन की मात्रा निर्धारित न्यूनतम से भी कम मिली है। इस सभी विकासखंडों में पोटाश की मात्र का स्तर उच्च पाया गया। जानकार मानते हैं कि उत्त रपट से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इन चारों विकास खंड के किसानों ने रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग किया है। उप कृषि निदेशक कार्यालय से जारी मृदा परीक्षण रपट में यह खुलासा हुआ है। मृदा वैज्ञानिक डा जगदीश मिश्र ने बताया कि मिट्टी में जीवांश कार्बन कम होने से उसकी उपजाऊ क्षमता घट जाती है।

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, मुकदमा दर्ज

हापुड़, 27 अगस्त (जनसत्ता)।

कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई महिला की मौत के मामले में पोस्टमार्टम की रपट आ गई है। रपट में महिला की मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव होना बताया गया है। पुलिस ने महिला की पिता की तहरीर पर ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मारपीट कर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। इस बाबत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर के आनंद विहार के तारिक ने अपनी 23 वर्षीय पुत्री की शादी तीन साल पूर्व मोहल्ला सद्दीकपुरा के तस्लीम से की थी। रविवार रात्रि तस्लीम ने मृतका के पिता तारिक को फोन कर पुत्री की मौत की सूचना दी थी। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रपट में महिला की मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव होना बताया गया है।

लूटपाट करने वाले पांच बदमाश गिरफ्तार

बरेली, 27 अगस्त (जनसत्ता)।

पुलिस ने शहर के दो थाना क्षेत्रों से महिलाओं के गले से चेन और दूसरे सामान लूटने वाले पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट के सामान के अलावा अवैध असलहे भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने लूट की घटनाओं में अपना हाथ होने की बात कबूल की है। सीओ हर्ष मोदी ने बताया कि थाना इज्जतनगर क्षेत्र में मंगलवार को सामान्य जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल से आते युवक को रोकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली क्षेत्र में मुखबिरी की सूचना पर दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनकी जानकारी देने पर दो अन्य बदमाश भी पकड़े गए।